



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 96]

नई दिल्ली, शुक्रवार मार्च 15, 2019/फाल्गुन 24, 1940

No. 96]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 15, 2019/PHALGUNA 24, 1940

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)**

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2019

फा. सं. मानक/एगमार्क-बीआईएस/01/एफएसएसआई-2018.—कतिपय विनियमों में आगे संशोधन हेतु खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011, जिसमें भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमोदन के साथ निम्न प्रारूप बनाने का प्रस्ताव करता है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की उप-धारा (1) के माध्यम से अपेक्षितानुसार, एतद्वारा प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों को जानकारी और सूचना देते हैं कि कथित प्रारूप विनियम पर इस अधिसूचना जो सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी, की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तिथि से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात, विचार किया जाएगा।

आपत्ति अथवा सुझाव, यदि कोई हों, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य एवं औषध प्रशासन, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा ईमेल द्वारा regulation@fssai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं;

आपत्ति और सुझाव, जो किसी भी व्यक्ति से उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में प्राप्त किए जाएंगे, उपरोक्त निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले, खाद्य प्राधिकरण द्वारा उन पर विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन विनियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 में, विनियम 2.4 में, उप-विनियम 2.4.5 में, खंड 9 के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“हल्की काली मिर्च – ऐसे प्रत्येक पैकेज पर जिसमें हल्की काली मिर्च है, इन विनियमों के विनियम 2.2.1 और 2.2.2 के अधीन विहित अपेक्षाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित लेबल होगा:

हल्की काली मिर्च (हल्की बेरिस)”

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III /4/असा./571/18]

टिप्पण : मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 2-15015//30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधन किए गए थे :-

- (i) फा. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013;
- (ii) फा. सं. पी.15014/1/2011-पी.एफ.ए./एफ.एस.एस.ए.आई., तारीख 27 जून, 2013;
- (iii) फा. सं. 1-83एल./एससीआई.पैन-अधि./एफ.एस.एस.ए.आई.-2012, तारीख 17 फरवरी, 2015;
- (iv) सं. 3-16/विनिर्दिष्ट खाद्य/अधिसूचना (खाद्य लेबलिंग)/एफएसएसएआई-2014, तारीख 3 मई, 2016;
- (v) फा.सं.1(94)2015/अधिसूचना पी एंड एल/प्रव./एफ.एस.एस.ए.आई, तारीख 25 मई, 2016;
- (vi) सं. 3-14पी /अधिसूचना (न्यूट्रास्टिकल्स)/एफएसएसएआई -2013, तारीख 13 जुलाई, 2016
- (vii) फा.सं. 1-120(2)/मानक/किरणित/एफएसएसएआई-2015, तारीख 23 अगस्त, 2016, और
- (viii) फाइल सं. आरईजी/11/27/बीईवीओ-लेबलिंग/एफएसएसएआई-2018, तारीख 24 दिसंबर, 2018।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2019

F.No. Stds/Agmark-BIS/01/FSSAI-2018.—The following draft of certain regulations, further to amend the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred under section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required by the said sub-section (1) of section 92 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi- 110002 or sent on email at regulation@fssai.gov.in.

Objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of period so specified, will be considered by the Food Authority.

Draft Regulations

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Amendment Regulations, 2019.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011, in regulation 2.4, in sub-regulation 2.4.5, for clause 9, the following shall be substituted, namely:-
 9. Light Black Pepper:- Every package containing light black pepper shall bear the following label and the requirements prescribed under regulation 2.2.1 and 2.2.2 of these regulations:

Light Black Pepper (Light berries)

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer
[ADVT.-III/4/Exty./571/18]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* notification number F.No. 2-15015/30/2010 dated the 1st August, 2011 and subsequently amended *vide* notification numbers:

- (i) F.No. 4/15015/30/2011, dated 7th June, 2013;
- (ii) F.No. P.15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated 27th June, 2013;
- (iii) F.No. 1-83L/Sci. Pan- Noti/FSSAI-2012 dated 17th February, 2015;
- (iv) No. 3-16/ Specified Foods/Notification(Food Labelling)/FSSAI-2014, dated 3rd May, 2016;
- (v) F. No. 1(94)2015/Notification P&L/Enf/FSSAI, dated 25th May, 2016;
- (vi) No. 3-14P/Notification (Nutraceuticals)/FSSAI-2013, dated 13th July, 2016
- (vii) F. No. 1-120(2)/Standards/Irradiation/FSSAI-2015, dated 23rd August, 2016 and
- (viii) F. No. REG/11/27/BEVO-Labelling/FSSAI-2018, dated 24th December, 2018.